

**ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और महिला सुपरवाइजर के पदों के लिए नए सिरे से भर्ती करण्गा एचएसएससी**

**सिपाही भर्ती में फर्जीवाई की जांच में खुलासा।**

**चंडीगढ़।** हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने मंगलवार को ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार समेत महिला सुपरवाइजर की भर्तीयों को रद्द कर दिया है। इन भर्तीयों के माजदम से पर्याप्त हजार रुपये भरे जाने हैं। अब ये भर्तीयों नए सिरे से होंगी और इसके लिए संयुक्त भत्ता परीक्षा (सीईटी) पास करनी होगी। सीईटी पास करने जाते अधिकारी ही विभागीय परीक्षा में बैठ सकेंगे। आधिकारिक-सामाजिक आधार पर मिलने जाते 10 अंकों को भी घटाकर अब 5 कर दिया गया।

सरकार की ओर से यह भी फैसला लिया गया कि जो लड़की विवाहित है उसका परिवार मायका ना मानकर सम्मुख चल माना जाएगा।

एचएसएससी की ओर से ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार समेत महिला सुपरवाइजर की भर्ती में



## **102 अध्याधिकारी ने दूसरे से परीक्षा दिलाई, दौड़ लगवाई**

**चंडीगढ़।** 5500 पुरुष सिपाही की भर्ती में 102 अध्याधिकारी ने दूसरे से परीक्षा दिलाई थी अपने चयन पर किसी दूसरे से दौड़ लगवाई है। यह खुलासा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने

सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और वायोमीट्रिक की जांच के बाद किया है। गढ़बड़ी करने वाले अध्याधिकारी की सची और पूरा विवरण पुलिस को सौंप दिया गया है। तीन की गिरफतारी भी हो चुकी है। पृष्ठालंब चल रही है। जारीग शाक में दायरे में आए वाकी अध्याधिकारी की जांच कर रहा है। एचएसएससी के वेवरीन भेंगल रिंग चाहरी ने चताया कि आयोग की सतर्कता से ही ये गढ़बड़ी पकड़ी गई है। किसी भी सूरत में दलालों और गतत अध्याधिकारी के मंसूबों को पूछा नहीं होने दिया जाएगा। आयोग परीक्षा में लेकर भत्ता पूँछ होने तक की जांच चल रही है। इसी ८८ दिन ३